VI विनियमन, पर्यवेक्षण और वित्तीय स्थिरता

वर्ष के दौरान आर्थिक गतिविधियों में पुनरुत्थान और ऋण-वृद्धि में थोड़ा सुधार होने के बावजूद, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ऋण-गुणवत्ता में आयी भारी गिरावट से जूझता रहा। परिणामस्वरूप, रिज़र्व बैंक को मध्यावधि में बैंकिंग प्रणाली की स्थिति में सुधार लाने के लिए पर्यवेक्षी उपाय अपनाने पड़े, जिसमें आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) शामिल है। विनियामक रुख के संबंध में, रिज़र्व बैंक ने बढ़ती दबावग्रस्त आस्तियों की चुनौती से निपटने और अवरुद्ध परियोजनाओं को फिर से शुरू करने की सुविधा देने के लिए विवेकपूर्ण नीतिगत फ्रेमवर्क को मजबूत करने का प्रयास जारी रखा। भारत में बैंकों द्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली (आईएफआरएस) के अनुरूप भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने की प्रक्रिया शुरू की गई। लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक स्थापित करने के अनुमोदन और यूनिवर्सल बैंकों की ऑन-टैप लाइसेंसिंग की ओर कदम बढ़ाने के साथ ही वित्तीय समावेशन और बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर पुनः बल दिया गया। विनियामक अंतरपणन को कम करने के साथ ही प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के उद्देश्य से, वित्तीय प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विनियामक फ्रेमवर्क को समरूप बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। इस वर्ष ग्राहक अधिकार चार्टर भी पूरी तरह परिचालन में आया जो आने वाले वर्ष में बैंकिंग क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

VI.1 2015-16 के दौरान आर्थिक वृद्धि और ऋण स्थितियों में मामूली सी तेजी आने के बावजूद, बैंकिंग क्षेत्र अनर्जक आस्तियों में बढ़ोतरी (एनपीए) की चुनौतियों से जूझता रहा। आस्ति गुणवत्ता की चिंता से निपटने के लिए रिजर्व बैंक ने वर्ष के दौरान आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) के रूप में पर्यवेक्षी कार्रवाई शुरू की। आस्ति गुणवत्ता समीक्षा के दौरान प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर, बैंकों ने पहले ही सक्रियता दिखाते हुए दबावग्रस्त आस्तियों की पहचान की, जिसके परिणामस्वरूप विशेषकर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में प्रावधानीकरण में पूर्व अनुमान के मुताबिक वृद्धि और लाभप्रदता में गिरावट हुई। यद्यपि, दबावग्रस्त आस्तियों की वजह से बैंकों का समग्र कार्यनिष्पादन प्रभावित हुआ, तथापि पूंजी पर्याप्तता को नियंत्रित करने वाले विनियमों में बदलाव के कारण वर्ष के दौरान पूंजी की स्थिति में सुधार हुआ, जिसने उन्हें विश्व के विनियामक मानदंडों के अनुरूप बना दिया।

VI.2 वाणिज्यिक बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण के संबंध में सतर्क रहने के साथ ही रिजर्व बैंक वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न भागों जैसे सहकारी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और वाणिज्यिक बैंकों के बीच विवेकपूर्ण विनियमनों को समरूप करने के अपनी जारी कार्यसूची के प्रति प्रतिबद्ध बना रहा। इस वर्ष लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों की स्थापना के साथ ही बैंकिंग क्षेत्र में नए प्रतिभागियों का प्रवेश हुआ है। इन बैंकों से विशिष्ट डोमेन और कम बैंकिंग सुविधा पाने वाले लोगों की जरूरतें पूरी होने की आशा है और इससे बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ-साथ वित्तीय समावेशन को बल मिलेगा।

VI.3 वित्तीय समावेशन और स्थिरता को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण चिंता ग्राहक सेवा और सुरक्षा को लेकर है। इस संबंध में, रिजर्व बैंक ने पूरी तरह से ग्राहक अधिकार चार्टर का परिचालन शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के कार्यान्वित होने के बाद बैंकिंग उपभोक्ताओं की संख्या में हाल ही में हुई बढ़ोतरी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए बैंकिंग लोकपाल (बीओ) योजना की भी व्यापक समीक्षा की गई।

VI.4 इस प्रकार, इस वर्ष वित्तीय क्षेत्र में विनियमन और पर्यवेक्षण में सुधार लाने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा परिकल्पित तीन स्तंभों के अनुसरण में एक साथ कई नीतिगत कार्रवाइयां की गईं, उदाहरण के लिए, नए प्रतिभागियों के जरिए बैंकिंग संरचना को मजबूत करना; वित्तीय पहुंच को बढ़ाना; और संकट से निपटने के लिए प्रणालीगत क्षमता बढ़ाना।

वित्तीय स्थिरता इकाई

VI.5 रिज़र्व बैंक में वित्तीय स्थिरता इकाई (एफएसयू) को अर्धवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) के माध्यम से वित्तीय स्थिरता की स्थिति और इसकी चुनौतियों के संबंध में सूचना के प्रसार, प्रणालीगत दबाव-परीक्षण तथा अन्य साधनों के जरिए समष्टि विवेकपूर्ण निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देश में वित्तीय स्थिरता के लिए गठित शीर्ष संस्थागत तंत्र अर्थात वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) के लिए यह सचिवालय का कार्य करता है।

वर्ष 2015-16 की कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

VI.6 2015-16 में, योजना के अनुसार वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) (भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट सहित) दिसंबर 2015 और जून 2016 में प्रकाशित की गई। दबाव-परीक्षण फ्रेमवर्क में क्षेत्रवार चूक की संभावना (पीडी) और कॉर्पोरेट क्षेत्र में संकट की मॉडलिंग को शामिल करते हुए इसे परिष्कृत किया गया। इसके अलावा, चुनिंदा औद्योगिक क्षेत्रों में संकट और बैंकिंग क्षेत्र पर इसके प्रभावों की भी जांच की गई।

VI.7 एफएसडीसी की उप समिति की 2015-16 में दो बैठकें हुईं और इन बैठकों में अन्य बातों के साथ-साथ अपने ग्राहक को जानिए हेतु केन्द्रीय रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर), अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार का विकास, समकक्षीय उधार (पी2पी), ऋण गारंटी योजनाओं का विनियमन, बहु-राज्यीय सरकारी समितियों द्वारा जमाराशियों के संग्रहण में जोखिम, स्टेवार्डशिप कोड[1] से संबंधित कई मुद्दों पर समीक्षा की गई। इस उप समिति ने वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिन टेक) पर एक अंतर-विनियामक ग्रुप गठित करने की सिफारिश की ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाए गए मॉडल पर विचार हो और इस संबंध में एक उपयुक्त विनियामक फ्रेमवर्क निर्धारित हो सके (बॉक्स VI.2 भी देखें) । यह उप समिति एक प्रभावी और व्यापक 'राष्ट्रीय स्वर्ण नीति' निर्मित करने के लिए एक कार्य समूह गठित करने पर भी सहमत हुई है। इसके अलावा, इस उप समिति की अनुशंसा पर केंद्र सरकार और वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न विनियामकों से प्रतिनिधित्व लेते हुए कॉर्पोरेट बॉण्ड (अध्यक्षः एच. आर. खान) पर एक कार्य समूह गठित किया गया।

VI.8 अपनी दो बैठकों के जरिए अंतर विनियामक तकनीकी ग्रुप (आईआरटीजी)- जो एफएसडीसी उप समिति का एक उप समूह है - ने कई सारे मुद्दों पर चर्चा की है - जैसे विधिक संस्था पहचानकर्ता (एलईआई), एनबीएफसी-अकाउंट एग्रीगेटर (एए) के लिए एक विनियामक फ्रेमवर्क, प्रतिभूतिकरण, एकल संस्था जो बहुत सारी गतिविधियों में संलग्न हो और शैडो बैंकिंग कार्यान्वयन समूह पर हुई प्रगति।

वर्ष 2016-17 के लिए कार्यसूची

VI.9 साथ ही, समष्टि विवेकपूर्ण निगरानी के अलावा छमाही आधार पर एफएसआर के प्रकाशन की भी परिकल्पना एफएसडीसी उप समिति की बैठक के साथ की गई थी। इस वर्ष के दौरान, चुनिंदा उद्योगों विशेषकर इन उद्योगों में बैंकिंग क्षेत्र के एक्सपोजर के बारे में भी अध्ययन किया जाएगा।

वित्तीय बिचौलियों का विनियमन

वाणिज्यिक बैंक: बैंकिंग विनियमन विभाग (डीबीआर)

VI.10 डीबीआर, जो वाणिज्यिक बैंकों के विनियमन के लिए नोडल विभाग है, वह प्रणालीगत स्थिरता बनाए रखने के प्रयोजन से समय और समस्त खंडों में जोखिम के विभिन्न आयामों से निपटने हेतु पहले से ही सक्रिय रूप से कार्य करता रहा है। स्थिरता के अलावा, उपयुक्त विनियामक उपायों के जरिए एक समावेशी और प्रतिस्पर्धी बैंकिंग संरचना का विकास करना भी इसका फोकस रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप श्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाते हुए विनियामक फ्रेमवर्क में बदलाव भी किए गए।

[1] स्टेवर्डशिप कोड का उद्देश्य आस्ति प्रबंधकों और कंपनियों के बीच सामंजस्य की गुणवत्ता को उन्नत करना है ताकि शेयरधारकों को जोखिम-समायोजित दीर्घावधि लाभ मिलने में मदद मिल सके।

वर्ष 2015-16 की कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

वित्तीय दबाव और सुदृढ़ीकरण

VI.11 वर्ष 2015-16 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने दबावग्रस्त आस्तियों से निपटने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों से वरिष्ठ स्तर पर प्रतिनिधित्व लेते हुए एक अधिक प्रभावी संयुक्त उधारदाता फोरम (जेएलएफ) के जरिए, कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना (एसडीआर) की परिधि के बाहर भी उधारकर्ता संस्थाओं के स्वामित्व में परिवर्तन करके और एसडीआर योजना के तहत नए प्रवर्तकों के पक्ष में बैंकों में विनिवेश संबंधी मानदंड को सुनिश्चित करके विनियामक फ्रेमवर्क को मजबूत करना जारी रखा। इसके अलावा, गहन वित्तीय पुनर्संरचना के संबंध में उधारदाताओं की योग्यता को मजबूत करने के लिए रिज़र्व बैंक ने दबावग्रस्त आस्तियों की धारणीय संरचना योजना की शुरुआत की (एस4ए)। वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट संस्थाओं, भागीदार प्रतिष्ठानों और व्यक्तियों के संबंध में एक समयबद्ध तरीके से फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता भी पारित हुई। वसूली प्रणाली में और अधिक सुधार के लिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी) और बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को देय कर्ज की वसूली (आरडीडीबीएफआई) अधिनियम, 1993 में संसद द्वारा संशोधन पारित किए गए हैं (बॉक्स VI.1)।

बॉक्स VI.1
प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और कर्ज वसूली कानून एवं विविध प्रावधान (संशोधन) विधेयक, 2016

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा कर्ज की वसूली और उनके प्रभार में प्रतिभूतियों के प्रवर्तन में आ रही दिक्कतों के परिप्रेक्ष्य में यह महसूस किया गया कि वर्तमान कर्ज कानूनों में संशोधन किया जाए। इसलिए अगस्त 2016 में संसद में प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और कर्ज वसूली कानून एवं विविध प्रावधान (संशोधन) विधेयक, पारित किया गया।

1. वसूली में सुधार लाने और कारोबार करना सुगम बनाने के लिए सरफेसी अधिनियम, में संशोधन प्रस्ताव किए गए हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्न भी शामिल हैं:
   - सभी जमानती उधारकर्ताओं द्वारा प्रतिभूति हित के निर्माण, आशोधन और पूर्ति का पंजीकरण और संपत्ति अधिकार से जुड़े विभिन्न कानूनों के तहत पंजीकरण प्रणाली के एकीकरण का प्रावधान तथा संपत्ति अधिकारों पर प्रतिभूति हित का केंद्रीय डाटाबेस तैयार करने हेतु केंद्रीय रजिस्ट्री का निर्माण;
   - गैर-संस्थागत निवेशकों को प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश करने में सक्षम बनाना;
   - किराया खरीद, वित्तीय पट्टा तथा सशर्त बिक्री को इसके दायरों में लाया गया;
   - रिज़र्व बैंक द्वारा आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के विनियमन को मजबूत करना जिसमें लेखा परीक्षा करने की शक्तियां, निरीक्षण करना, निदेशक बदलना, प्रबंधन शुल्क के विनियमन हेतु दिशानिर्देश जारी करना और दंड लगाना शामिल हैं;
   - डिबेंचर ट्रस्टी को जमानती लेनदार के समतुल्य बनाना;
   - जमानती आस्तियों को कब्जे में लेने हेतु समय-सीमा निर्धारित करना और
   - अन्य सभी कर्जों के भुगतान की तुलना में जमानती लेनदार के कर्ज के भुगतान को प्राथमिकता देना
2. बैंकिंग प्रणाली में दबावग्रस्त आस्तियों को कम करने के लिए आरडीडीबीएफआई अधिनियम, में संशोधन प्रस्तावित हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:
   - वसूली आवेदनों का द्रुत न्यायनिर्णयन और केंद्र सरकार को सशक्त करना कि वे ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) और ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (डीआरएटी) में प्रक्रिया पूरी करने में एकसमान प्रक्रियागत नियम उपलब्ध करा सकें;
   - वसूली आवेदनों, दस्तावेजों और लिखित बयानों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग शुरू करना; न्यायाधिकरण द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में सम्मन जारी करना; डीआरटी और डीएआरटी के अंतरिम और अंतिम आदेशों को उनकी वेबसाइट पर प्रदर्शित करना; और
   - अन्य सभी दावेदारों, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी शामिल हैं, के कर्ज के भुगतान की तुलना में, जमानती लेनदार के कर्ज के भुगतान को प्राथमिकता देना।
3. इस विधेयक में एआरसी के पक्ष में ऋण के समनुदेशन में स्टांप ड्यूटी से छूट देने के लिए भारतीय स्टांप अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव किया गया है; और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में गिरवी रखे शेयरों का हस्तांतरण करने या ऋणों को शेयरों में बदलने की सुविधा मुहैया कराने हेतु निक्षेपागार अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित किया गया है।

VI.12 रिज़र्व बैंक द्वारा मार्च 2015 में 'बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क और बाजार प्रक्रिया के जरिए क्रेडिट आपूर्ति को बढ़ाना' विषय पर एक परिचर्चा पेपर जारी किया गया। इस परिचर्चा पेपर में मौजूदा एक्सपोजर मानदंड को बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति के 'बड़े एक्सपोजर मानदंड' के समरूप करने के प्रस्ताव के साथ-साथ ऐसी बाजार प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के प्रस्ताव शामिल किए गए जिससे बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं की बैंकिंग प्रणाली पर निर्भरता कम हो। एक ओर जहां पहले प्रयास से अलग-अलग बैंकों के संबंध में संकेंद्रण जोखिम से निपटा गया, वहीं दूसरे प्रयास से प्रणालीगत स्तर पर जोखिम से निपटा गया।

VI.13 प्रणालीगत स्तर पर संकेंद्रण जोखिम के महत्व को देखते हुए, मई 2016 में 'बड़े उधारकर्ताओं के लिए बाजार प्रक्रिया के जरिए क्रेडिट आपूर्ति को बढ़ाने हेतु फ्रेमवर्क' पर अलग से एक परिचर्चा पेपर भी जारी किया गया। इस परिचर्चा पेपर में एक 'विशिष्ट उधारकर्ता' और ऐसे उधारकर्ताओं के लिए 'उधार की एक सामान्य अनुमत सीमा' (एनपीपीएल) को परिभाषित किया गया। इसके अलावा, इसमें ऐसे उधारकर्ताओं के लिए एक निरुत्साहित प्रक्रिया प्रस्तावित की गई जो बैंकिंग प्रणाली से एनपीएलएल के अतिरिक्त वृद्धिशील उधार लेते हैं।

लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक

VI.14 रिज़र्व बैंक ने लघु ऋण, लघु बचत और भुगतान/प्रेषण के जरिए वित्तीय समावेशन के अपने प्रयास के भाग के रूप में सितंबर 2015 और अक्तूबर 2015 में क्रमशः 11 भुगतान बैंकों और 10 लघु वित्त बैंकों की स्थापना के संबंध में सिद्धांततः अनुमोदन जारी किया। रिज़र्व बैंक ने इन नई संस्थाओं के लिए विनियामक फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने की दिशा में काम किया। इसके अलावा, मार्च 2016 में कैपिटल स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड को पहला लघु वित्त बैंक का लाइसेंस मिला और यह मामला ऐसा था, जिसमें एक स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) एक लघु वित्त बैंक में परिवर्तित हुआ था। पहला भुगतान बैंक लाइसेंस अप्रैल 2016 में एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिडेट को जारी किया गया था। जून 2016 में दूसरा लघु वित्त बैंक लाइसेंस इक्विटास स्मॉल फाईनैन्स बैंक को जारी किया गया था।

सीमांत निधि लागत आधारित उधार दर

VI.15 उधार दरों के निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति में अधिक पारदर्शिता लाने तथा मौद्रिक नीति के प्रभाव को उधार दरों में मजबूती से अंतरित करने की दिशा में बैंकों के लिए यह अनिवार्य किया गया कि वे अपनी आधार दर की गणना निधीयन की सीमांत लागत के आधार पर करें। सीमांत निधि लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) का विवरण अध्याय-III में दिया गया है।

ऑन-टैप बैंक लाइसेंसिंग

VI.16 बैंकिंग प्रणाली में अधिक प्रतिस्पर्धा और नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से सार्वभौमिक बैंकों की ऑन-टैप लाइसेंसिंग के संबंध में प्रारूपी दिशानिर्देश फीडबैक के लिए अगस्त 2016 में जारी किए गए। निजी क्षेत्र में बैंकों की लाइसेंसिंग की सतत प्रक्रिया शुरू करने के अलावा, इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे निवासी व्यक्तियों/पेशेवरों को शामिल करने पर विचार किया गया जिन्हें बैंकिंग और वित्त में अनुभव हो, लेकिन पात्र प्रमोटर के रूप में बड़े औद्योगिक/बिजनेस घरानों को बाहर करने और केवल विशेष स्थिति में गैर-परिचालित वित्तीय धारक कंपनी (एनओएफ़एचसी) को अनिवार्य करने पर विचार किया गया।

भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन

VI.17 भारतीय बैंकों के मौजूदा लेखांकन फ्रेमवर्क को एक तय समय सीमा में आईएफआरएस अनुरूपी भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने हेतु रास्ता बनाने की दिशा में बैंकों को फरवरी 2016 में सूचित किया गया कि वे 1 अप्रैल 2018 की लेखा अवधि से वित्तीय विवरण तैयार करने में भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करें जो 31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि की तुलनात्मकता के साथ हो। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे अपने बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति की निगरानी में कार्यान्वयन की यह प्रक्रिया तुरंत शुरू करें।

मास्टर दिशानिर्देश

VI.18 भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2014-15 में की गई घोषणा के अनुसरण में, दस मास्टर दिशानिर्देश जारी किए गए, यथा - जमाराशि और अग्रिमों पर ब्याज; केवाईसी (रिज़र्व बैंक के

विभिन्न विभागों द्वारा जारी सभी महत्वपूर्ण अनुदेशों को समेकित करते हुए); समामेलन; निजी क्षेत्र के बैंकों में शेयरों का निर्गमन और मूल्य निर्धारण; निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व; निजी क्षेत्र के बैंकों में शेयरों के अधिक्रय या वोटिंग अधिकार प्राप्त करने हेतु पूर्व अनुमोदन; स्वर्ण मुद्रीकरण योजना; बैंकों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही वित्तीय सेवाएं; और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) द्वारा प्रस्तुतीकरण, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग के संबंध में मास्टर दिशानिर्देश जारी किए गए। इन दिशानिर्देशों से हितधारकों के साथ संवाद में अधिक स्पष्टता और फोकस आने की आशा है।

स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी) का भविष्य और निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व

VI.19 केंद्र सरकार के साथ परामर्श करके एलएबी की स्थापना के भविष्य का विकल्प इस वर्ष प्रक्रियाधीन था। बासेल III पूंजी विनियमन के कार्यान्वयन के फलस्वरूप अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए और निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व की सीमा को युक्तिसंगत बनाने के मद्देजर इन बैंकों में स्वामित्व के संबंध में मौजूदा दिशानिर्देशों पर फिर से विचार किया गया।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको में अभिशासन सुधार

VI.20 भारत में बैंकों के बोर्ड की गवर्नेन्स की समीक्षा पर गठित समिति (अध्यक्ष: श्री पी जे नायक) द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसरण में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड के गठन और परिचालन में अधिक व्यावसायिकता लाने के प्रयोजन से केंद्र सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक की सहायता से बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) की स्थापना की गई। बीबीबी ने 8 अप्रैल 2016 से कार्य करना शुरू कर दिया।

वर्ष 2016-17 के लिए कार्यसूची

VI.21 2015-16 के विनियामक रुख के अनुसरण में, रिज़र्व बैंक 2016-17 में बैंकों की आस्ति गुणवत्ता के मामले की निगरानी और इस पर प्रतिक्रिया करना जारी रखेगा। इसके अलावा, जैसाकि भारतीय लेखांकन मानदंड 109 में परिकल्पित किया गया था, प्रत्याशित ऋण हानि (ईसीएल) दृष्टिकोण के विवेकपूर्ण और कार्यान्वयन पहलू के बारे में नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस वर्ष के दौरान भारतीय लेखांकन मानदंड से जुड़े विभिन्न पहलुओं से संबंधित दिशानिर्देशों/अनुदेशों की समीक्षा की जाएगी। भारतीय लेखांकन मानक पर आंतरिक रूप से और बैंकों के स्तर पर क्षमता-निर्माण के लिए प्रयास शुरू किए जाएंगे।

VI.22 केंद्रीय प्रतिपक्षकारों में बैंक एक्सपोजर को देखते हुए डेरिवेटिव लेनदेनों और पूंजी आवश्यकताओं के चलते उत्पन्न होनेवाले प्रतिपक्षी ऋण जोखिम एक्सपोजर की गणना के संबंध में प्रारूपी दिशानिर्देश टिप्पणी हेतु जून 2016 में जारी किए गए। 1 अप्रैल 2017 से कार्यान्वित करने के लिए दिसंबर 2016 तक अंतिम दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। गैर-केंद्रीय समाशोधित डेरिवेटिव के लिए मार्जिन संबंधी अपेक्षाओं के संबंध में एक परिचर्चा पेपर भी मई 2016 में जारी किया गया। इस संबंध में अंतिम दिशानिर्देश 2016-17 की पहली छमाही में जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, इस वर्ष के दौरान, बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ) और बीसीबीएस मानक के समरूप संशोधित प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क पर भी प्रारूपी दिशानिर्देश जारी करना प्रस्तावित है।

VI.23 बीसीबीएस के अक्तूबर 2014 के अंतिम नियम को ध्यान में रखते हुए मई 2015 में निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) पर प्रारूपी दिशानिर्देश जारी किए गए। एनएसएफआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक अपनी आस्तियों और तुलन-पत्र से इतर गतिविधियों की संरचना के अनुरूप स्थिर निधीयन प्रोफाइल बनाए रखें तथा अल्पावधि थोक निधीयन पर अधिक निर्भरता को सीमित करें। 1 जनवरी 2018 से कार्यान्वित करने के लिए एनएसएफआर पर अंतिम दिशानिर्देश, परामर्श प्रक्रिया के बाद, 2016-17 की दूसरी छमाही में जारी किए जाएंगे।

VI.24 घरेलू वाणिज्यिक बैंकों के लिए शाखा प्राधिकार फ्रेमवर्क और निर्यात ऋण के मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा करने और इन्हें युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव है। 2016-17 में बासेल III फ्रेमवर्क को एआईएफआई तक बढ़ाने की योजना है। हाल के वर्षों में अन्य क्षेत्रों की भांति बैंकिंग में भी डिजिटल नवोन्मेष से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। इस क्षेत्र में संभावना का आकलन करने के लिए रिज़र्व बैंक ने फिन टेक और डिजिटल बैंकिंग पर एक अंतर-विनियामक कार्य समूह गठित किया है (बॉक्स VI.2)। इस कार्य समूह की रिपोर्ट

बॉक्स VI.2
फिन टेक और डिजिटल नवोन्मेष - अवसर, चुनौतियां और जोखिम

वित्तीय सेवाएं जिनमें बैंकिंग सेवाएं भी शामिल हैं, टेक्नलॉजी और डिजिटल नवोन्मेष के जरिए क्रांतिकारी परिवर्तन के शीर्ष पर हैं। फिन टेक एक व्यापक - शब्द है जो ऐसे नए प्रतिस्पर्धियों (विशिष्ट रूप से गैर- वित्तीय प्रतिष्ठानों) को प्रदर्शित करने के लिए गढ़ा गया जो टेक्नलॉजिकल नवोन्मेषण लाती है और जिससे वित्तीय सेवाएं प्रभावित होती हैं। डिजिटल बैंकिंग, ब्लॉक चेन टेक्नलॉजी, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, बड़े डेटा और पी2पी/बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी)/बिजनेस टू कस्टमर (बी2सी) प्लेटफॉर्म जो कि उधारदाताओं और उधारकर्ताओं को एक साथ ले आते हैं फिन टेक में हाल में हुए ऐसे कुछ नवोन्मेष हैं। इससे वित्तीय क्षेत्र को कई सारे अवसर और फायदे हुए हैं। कार्यनिष्पादन की सुविधा और गति, तत्काल लेनदेन, कम लेनदेन लागत, सूचना एवं निर्णय लेने हेतु डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर डेटा की उपलब्धता, उत्पाद टेलरिंग और मध्यवर्ती संस्थाओं की अनुपस्थिति फिन टेक के कुछ फायदे हैं।

भारत में सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय आकांक्षा को देखते हुए फिन टेक का एक विशेष महत्व है ताकि वहनीय लागत पर अंतिम पंक्ति तक वित्त की पहुंच सुनिश्चित हो सके। क्लाउड कंप्यूटिंग, हैंड हेल्ड डिवाइस और मोबाइल स्मार्टफोन के मेल से भारत में फिन टेक के विस्तार में मदद मिली है। ऐसी उम्मीद है कि फिन टेक क्षेत्र में नए शुरू हुए भुगतान बैंक महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगे और उनके परिचालन में टेक्नलॉजी केंद्रीय भूमिका में होगी।

तथापि, फिन टेक विनियामक के लिए अपने साथ कई चुनौतियां ला रहा है क्योंकि ये वित्तीय बिचौलियों की परंपरागत प्रक्रिया से भिन्न होगी। इसमें निहित जोखिम केवल टेक्नलॉजी और क्लाउड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैः अविनियमित वित्तीय और गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय उत्पादों में लेनदेन से उत्पन्न होनेवाले मुद्दे; उत्पादों/सेवाओं की आउटसोर्सिंग; और सोर्स कोड तक पहुंच/इसकी जानकारी के बगैर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन का अधिग्रहण।

फिन टेक की 'नुकसानदेह' संभाव्यता को देखते हुए, यह जांच करना आवश्यक है कि इसके लिए रेगुलेशन की जरूरत है और यदि अपेक्षित है तो एक उपयुक्त विनियामक फ्रेमवर्क डिजाइन किया जाए। इसलिए, रिज़र्व बैंक ने जुलाई 2016 में फिन टेक और डिजिटल बैंकिंग पर एक अंतर-विनियामक कार्य समूह (अध्यक्षः श्री एस. सेन) का गठन किया। यह समूह अन्य बातों के साथ-साथ ग्राहकों और अन्य हितधारकों के लिए फिन टेक से होने वाले अवसर और जोखिमों का आकलन करेगा। इसके अलावा, यह वित्तीय क्षेत्र की विभिन्न कार्यप्रणालियों, जिसमें गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा की जा रही मध्यस्थता, समाशोधन और भुगतान शामिल है, पर फिन टेक का प्रभाव और चुनौतियों की भी जांच करेगा और यदि आवश्यक हुआ तो उपयुक्त रेगुलेटरी कार्रवाई का सुझाव भी देगा।

से इन नए नवोन्मेषी संस्थाओं और उत्पादों के लिए एक उपयुक्त विनियामक फ्रेमवर्क डिजाइन करने में मदद मिलेगी। सितंबर 2016 में टिप्पणी हेतु जारी होनेवाले आलेख में अन्य प्रकार के विशिष्ट बैंकों जैसे कस्टोडियन बैंक, थोक एवं दीर्घावधि वित्तपोषण बैंक की लाइसेंसिंग की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा।

VI.25 ऐसा देखा गया कि भारतीय समाज का कुछ तबक़ा धार्मिक कारणों से वित्तीय रूप से वंचित है, जो उन्हें ब्याज वाले बैंकिंग उत्पादों का उपयोग करने से रोकता है। इन वंचित तबकों को मुख्यधारा में लाने के लिए यह प्रस्ताव है कि सरकार के साथ परामर्श करके भारत में ब्याज रहित बैंकिंग उत्पादों को शुरू करने के तौर-तरीके का पता लगाया जाए।

सहकारी बैंकः सहकारी बैंक विनियमन विभाग (डीसीबीआर)

VI.26 लंबे समय से, रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक उपयुक्त विनियामक और पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क तैयार कर इनके पुनरुत्थान और सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2015-16 में भी, डीसीबीआर, जो सहकारी बैंकों जिसमें शहरी सरकारी बैंक (यूसीबी) राज्य सहकारी बैंक (एससीबी) तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी) शामिल है, के विवेकपूर्ण विनियमन हेतु प्रभारी विभाग है, ने इस फ्रेमवर्क को और अधिक मजबूत करने के लिए अनेक पहल की हैं।

वर्ष 2015-16 की कार्यसूचीः कार्यान्वयन स्थिति

VI.27 शहरी सहकारी बैंकों पर गठित उच्च स्तरीय समिति (एचपीसी) की रिपोर्ट वेबसाइट पर डाली गई और जनता से अभिमत प्राप्त किए गए। इस पर मई 2016 में हितधारकों के साथ बैठक आयोजित की गई और एचपीसी की सिफारिशों को लागू करने के बारे में उनकी राय ली गई। इसके अलावा लेखापरीक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए शहरी सहकारी बैंकों के लेखा-परीक्षकों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई।

विनियामक नीतियों को सुसंगत करना

VI.28 रिजर्व बैंक ने सहकारी क्षेत्र के भीतर, अर्थात् शहरी एवं ग्रामीण सहकारी बैंकों और साथ ही साथ सहकारी एवं वाणिज्यिक बैंकों के बीच विनियमों को सावधानीपूर्वक नपेतुले अंदाज में सुसंगत बनाने की प्रक्रिया जारी रखी है। तदनुसार, इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित विनियमों को सुसंगत बनाने का कार्य पूरा किया गयाः (i) प्रतिभूति/कोलैटरल के रूप में स्वीकृत स्वर्ण आभूषण का मूल्यन; (ii) ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा; (iii)एटीएम एवं डेबिट कार्ड जारी करना; (iv) एटीएम के जरिए मूल्यवर्धित सेवाओं का प्रावधान; और (v) मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियों (एमआईसी) में निवेश।

लाइसेंस-रहित जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का पुनरुत्थान और लाइसेंसिंग

VI.29 जमाकर्ताओं के हित में यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में केवल लाइसेंस प्राप्त संस्था ही स्थान पाएं, सहकारी बैंकों के लाइसेंसिंग मानदंडों में 2009 में सुधार किया गया। इन नीतिगत प्रयासों का सकारात्मक परिणाम इस रूप में देखने को मिला कि ऐसे राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की संख्या में गिरावट हुई, जिन्हें लाइसेंस प्राप्त नहीं था। 23 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक जो बगैर लाइसेंस के थे, उनके पुनरुत्थान और लाइसेंसिंग के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2014 में एक योजना शुरू की गई, जिसका विवरण और परिणाम बॉक्स VI.3 में दिया गया है।

अनुसूचीबद्धता, लाइसेंसीकरण और विलय से संबंधित गतिविधियां

VI.30 पांच गैर-अनुसूचित सहकारी बैंक अर्थात अपना सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, वसई विकास सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे, जलगांव पीपुल्स सहकारी बैंक लिमिडेट, जलगांव, राजारामबापू सहकारी बैंक लिमिटेड, पेठ, सांगली और उत्तराखंड स्टेट सहकारी बैंक लिमिटेड, हलद्वानी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम,1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया। तेलंगाना राज्य बनने के बाद, तेलंगाना स्टेट सहकारी अपेक्स बैंक लिमिटेड, जिसने 2 अप्रैल 2015 को अपना परिचालन शुरू किया था, उसे 18 अप्रैल 2016 को बैंकिंग लाइसेंस जारी किया गया। वर्ष के दौरान, शहरी सरकारी

बॉक्स VI.3

लाइसेंसरहित जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का पुनरुद्धार और लाइसेंसीकरण

वर्ष 2006 में केंद्र सरकार द्वारा अल्पकालीन सहकारी ऋण संस्थाओं का पुनरुद्धार पैकेज लाने (ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरुद्धार से संबंधित कार्यबल की सिफ़ारिशों के आधार पर) (अध्यक्षः प्रो.ए.वैद्यनाथन), और रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2009 में लाइसेंसीकरण मानदंडों में संशोधन किए जाने से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में लाइसेंसरहित संस्थाओं की संख्या में कमी आने लगी थी। जहां लाइसेंसरहित राज्य सहकारी बैंकों की संख्या 17 से घटकर शून्य हो गयी है, वही लाइसेंसरहित जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की संख्या 296 से तेजी से घटकर जून 2013 में 23 तक रह गई ।

नवंबर 2014 में केंद्र सरकार ने चार राज्यों में स्थित 23 लाइसेंसरहित जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (उत्तर प्रदेश में 16, जम्मू और कश्मीर तथा महाराष्ट्र तीनों में एक-एक और पश्चिम बंगाल में एक) के पुनरुद्धार की एक अन्य योजना की घोषणा की। योजना के अंतर्गत जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) में 23.76 बिलियन रुपए की पूंजी डाली जानी थी, जिसमें से 6.73 बिलियन रुपए का अंशदान केंद्र सरकार द्वारा, 14.65 बिलियन रुपए राज्य सरकार द्वारा और 2.38 बिलियन रुपए राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा किया जाना था। योजना के अनुसार, केंद्र सरकार का अंशदान नाबार्ड के माध्यम से ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में किया जाएगा। जिसे योजना में निर्दिष्ट कुछ शर्तों/प्रदेय को पूरा करने पर अनुदान में बदल दिया जाएगा। निर्दिष्ट शर्तों में से डीसीसीबी को इन शर्तों के संबंध में कहा गया है (ए) अपने एनपीए अनुपात को 31 मार्च 2017 तक कम से कम 50 प्रतिशत तक कम करें, (बी) आगामी दो वर्षों में अपनी जमाराशियों में 15 प्रतिशत की वृद्धि हासिल करें, (सी) मासिक निगरानी हेतु कार्ययोजना तैयार करें, (डी) सक्षम सीईओ की नियुक्ति सुनिश्चित करें जिसके लिए उपयुक्त और उचित मानदंड का पालन करें, तथा (ई) उपयुक्त कारपोरेट गवर्नेंस प्रणाली लागू करें। नाबार्ड का अंशदान संबंधित राज्य के लिए ऋण के रूप में होगा।

इसके अलावा, राज्य सरकारों से यह अपेक्षित था कि वे 31 मार्च 2015 तक जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी की अतिरिक्त 7 प्रतिशत की जरूरत को वित्त प्रदान करते हुए पूरा करें। इस योजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के रूप में एक त्रिपक्षीय करार, शर्तों/प्रदेय को निर्दिष्ट करते हुए केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकार और नाबार्ड के बीच हस्ताक्षरित किया गया। केंद्र सरकार, महाराष्ट्र राज्य और उत्तर प्रदेश सरकार तथा नाबार्ड द्वारा निधि जारी कर दिए जाने के फलस्वरूप 2015-16 में महाराष्ट्र के तीन डीसीसीबी और उत्तर प्रदेश में 11 डीसीसीबी को लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं और इस प्रकार लाइसेंसरहित डीसीसीबी की संख्या 30 जून, 2016 को घटकर नौ रह गई है।

बैंकों के विलय के पांच प्रस्ताव अनुमोदित किए गए और इनमें से तीन कार्यान्वित हुए।

वर्ष 2016-17 के लिए कार्यसूची

VI.31 सहकारी बैंकों के लिए विनियमन को सुसंगत बनाने की सतत प्रक्रिया 2016-17 में भी जारी रहेगी। केंद्र सरकार की पुनरुद्धार योजना कार्यान्वित की जाती रहेगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना के अंतर्गत शामिल डीसीसीबी को लाइसेंस प्रदान कर दिया जाए। एचपीसी की कुछ अन्य सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन के बारे में हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर भी विचार किया जाएगा।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफ़सी): गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग (डीएनबीआर)

VI.32 एनबीएफ़सी छोटे-छोटे अल्प-सेवा वाले क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। रिजर्व बैंक के लिए यह प्राथमिकता थी कि एनबीएफ़सी का व्यवस्थित विकास हो क्योंकि शैडो बैंकिंग के कार्यों का वित्तीय प्रणाली की स्थिरता पर काफी प्रभाव पड़ रहा था। वर्ष 2015-16 में डीएनबीआर का फोकस यह था कि सभी एनबीएफ़सी और बैंकों में रेगुलेशंस को सुसंगत बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और गतिविधि-आधारित विनियम बनाए जाएं।

वर्ष 2015-16 के लिए कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

विवेकपूर्ण विनियमों को सतत सुसंगत बनाना

VI.33 वर्ष के दौरान एनबीएफ़सी से संबंधित निम्नलिखित विवेकपूर्ण विनियमों को सुसंगत बनाया गयाः वित्तीय तंगी की शीघ्र पहचान करना; उसके समाधान के लिए तत्परता से कदम उठाना और उधारदाताओं के लिए उचित वसूली, साथ ही जेएलएफ़ के निर्माण के बारे में दिशानिर्देश तथा सुधारात्मक कार्य योजना (सीएपी), बैंकों द्वारा तथा एनबीएफ़सी आढ़तियों के लिए आढ़त कार्यकलाप केंद्र/राज्य सरकार के एक्सपोजर्स को जोखिम भार प्रदान करना तथा राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत दावे, स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स द्वारा कारपोरेट बांड्स में निवेश के बारे में जोखिम भार, और ऋण की रणनीतिगत पुनर्रचना तथा परियोजना ऋण का पुनः वित्तपोषण करना।

एनबीएफ़सी - खाता समूहक तथा पी-2-पी उधार

VI.34 वित्तीय आस्तियों के समेकित स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, एक नई प्रकार की एनबीएफ़सी श्रेणी अर्थात एनबीएफ़सी-एए का प्रस्ताव किया गया है। (बॉक्स VI.4) । इसके अतिरिक्त, पी-2-पी उधार (समकक्ष को समकक्ष से उधार) हेतु एक उपयुक्त

बॉक्स VI.4
एनबीएफ़सी खाता समूहक

वर्तमान में, वित्तीय आस्ति धारक जैसे बचत बैंक जमा, मीयादी जमा, म्युचुअल फंड और बीमा पॉलिसी धारक अपनी वित्तीय आस्ति धारिता की स्थिति को बिखरा हुआ पाते हैं क्योंकि जिन संस्थाओं के पास उनके ये खाते होते हैं वे वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न रेगुलेटर्स की परिधि में होती हैं। इस अंतर को खाता समूहक द्वारा पाटा जाएगा जो किसी ग्राहक द्वारा रखे गए विभिन्न खातों के बारे में जानकारी समेकित, व्यवस्थित तरीके से प्रदान करेगा तथा खाता धारक उन जानकारियों को पुनः प्राप्त (रिट्रीव) कर सकेगा। ग्राहक के लिए खाता समूहक की सेवाएं लेने का विकल्प पूरी तरह स्वैच्छिक होगा।

रिजर्व बैंक ने एनबीएफ़सी खाता समूह (एए) के संचालन से संबंधित निर्देश-मसौदा मार्च 2016 में जारी कर दिया था। तदनुसार, एनबीएफ़सी-एए की गतिविधियों का विनियमन रिजर्व बैंक द्वारा किया जाएगा ताकि उनकी सेवाओं के स्वरूप और शर्तों को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप सुनिश्चित किया जा सके। इन दिशानिर्देशों के अनुसार खाता समूहक का कारोबार पूरी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित होगा। खाता समूहक वित्तीय आस्तियों में उसके ग्राहकों द्वारा किए गए किसी लेनदेन को सहायता नहीं प्रदान करेगा। खाता समूह, खाता के समूहन के कारोबार के अलावा अन्य कोई कारोबार नहीं करेगा। लेकिन, समूहक द्वारा निवेश योग्य अधिशेष को ऐसे लिखतों में लगाने की अनुमति दी जाएगी जिसकी ट्रेडिंग नहीं होगी। सेवाओं की कीमत खाता समूह के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

खाता समूहक यह सुनिश्चित करेगा कि किसी ग्राहक को जिससे सेवा लेने के लिए विशेष रूप से आवेदन किया है उसे प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रावधान को साथ-साथ समूहक, ग्राहक और वित्तीय सेवा प्रदाता के बीच किए गए उपयुक्त करार/ प्राधिकार से समर्थित होना चाहिए। खाता समूहक द्वारा जानकारी केवल उस ग्राहक को दी जाएगी जिससे वह जानकारी संबंधित है अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी जिसे ग्राहक द्वारा प्राधिकृत किया गया हो। खाता समूहक लाइसेंस की शर्तों के प्रति बाध्य होगा (जैसे ग्राहक की सुरक्षा, शिकायत का निवारण, डाटा की सुरक्षा, लेखा-परीक्षा नियंत्रण, कारपोरेट गवर्नेंस और जोखिम प्रबंधन व्यवस्था)। खाता समूहक के पास नागरिक चार्टर होगा जिसमें विशिष्ट रूप से ग्राहक के अधिकारों की रक्षा की गारंटी दी गई होगी।

बॉक्स VI.5
समकक्ष-से-समकक्ष (पी 2 पी) को उधार देना

पी-2-पी ऋण प्रणाली समूह द्वारा निधीयन (क्राउड-फंडिंग) का एक नवोन्मेषी स्वरूप है जिसमें वित्तीय प्रतिलाभ शामिल होता है। इसके अंतर्गत आनलाइन प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए ऋणदाता और ग्राहक को पास लाया जाता है और गैर-जमानती ऋण जुटाने में मदद की जाती है। उधारकर्ता एक वैयक्तिक अथवा एक कारोबारी में कोई भी हो सकता है। इस प्लेटफार्म पर प्राथमिक रूप से उधारकर्ता की साख का मूल्यांकन किया जाता है और यह देखा जाता है कि ऋण की वसूली किस प्रकार होगी। इस तरह, उधारकर्ता और उधारदाता दोनों उस प्लेटफार्म को शुल्क की अदायगी करते हैं। ब्याज दरों का निर्धारण प्लेटफार्म द्वारा सामान्य नियत दर से लेकर परिवर्तनीय ब्याज दर पर किया जाता है जिसमें उधारकर्ता और उधारदाता दोनों की सहमति होती है और लागत अतिरिक्त का माडल प्रयोग किया जाता है (परिचालन लागत को प्लेटफार्म की मार्जिन तथा उधारदाता के प्रतिलाभ को जोड़कर)।

उधार लेने वाले के लिए पी-2-पी उधार का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसकी दरें साहूकार/असंगठित क्षेत्र द्वारा दी गई दरों से कम होती हैं, जबकि उधारदाता को इसपर उतना अधिक प्रतिलाभ प्राप्त होता है जितना कि उसे बचत खाता या किसी अन्य निवेश से नहीं मिल सकता है।

हालांकि पूरे विश्व में आनलाइन उधार प्लेटफार्मों में काफी वृद्धि हुई है, किंतु, उन देशों में इस क्षेत्र से संबंधित नियंत्रण रुझान के प्रति कोई एकरूपता नहीं है। जहां पी 2 पी उधार प्लेटफार्मों पर जापान और इजरायल में प्रतिबंध है, वहीं फ्रांस, जर्मनी और इटली में उनका विनियमन बैंक की तरह किया जाता है, और चीन एवं दक्षिण कोरिया में उन्हें किसी भी प्रकार के विनियमन से छूट प्राप्त है। विनियमन रुझान में जो अंतर है वह सिद्धांत को लेकर है। यह तर्क दिया जाता है कि विनियमन इस उभरने वाले क्षेत्र को दबा देगा। जबकि दूसरी ओर विनियमन के समर्थकों का यह तर्क है कि इस क्षेत्र का बिना विनियमन के विकास दीर्घकाल में बाजार के खिलाड़ियों द्वारा हानिकारक प्रथाओं को बढ़ाएगा, इससे प्रणालीगत चिंताएं बढ़ेंगी क्योंकि इस क्षेत्र की संवेदनशीलता यह है कि वह अधिक जोखिम वाले उधारकर्ताओं को आकर्षित करेगा और मौद्रिक नीति व्यवस्था के प्रसारण को भी कमजोर करेगी।

भारत में, इस समय बहुत से पी-2-पी उधार प्लेटफार्म हैं और यह क्षेत्र तेज गति से आगे बढ़ रहा है। रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2016 में पी 2 पी उधार के बारे में एक परामर्शी आलेख जारी किया है। पेपर में पी 2 पी प्लेटफार्म को विनियमित करने के फ़ायदे और नुकसान दिये गए हैं और इस बात को रेखांकित किया गया है कि एक संतुलित विनियामक दृष्टिकोण विकसित करने की जरूरत है जो उधारदाता तथा उधारकर्ता दोनों की रक्षा करेगा और इससे निहित नवोन्मेष पर कोई रोक नहीं लगेगी। तदनुसार, पी 2 पी प्लेटफार्म को एनबीएफ़सी की पृथक श्रेणी के रूप में विनियमित करने का प्रस्ताव है। आलेख के संबंध में विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक का परीक्षण किया जा रहा है ताकि विनियामकीय संरचना को अंतिम रूप दिया जा सके।

विनियामक ढांचा बनाने के बारे में एक परामर्शी आलेख भी जारी किया गया है। (बॉक्स VI.5)।

पंजीकरण प्रक्रिया का सरलीकरण

VI.35 एनबीएफ़सी को पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) जारी करने की प्रक्रिया को आसान और युक्तिसंगत बनाया गया है। तदनुसार, पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की संख्या 45 से घटकर लगभग आठ रह गयी है। इसके अलावा, एनबीएफ़सी को पंजीकरण प्रमाणपत्र के प्रयोजन से दो श्रेणियों में बांटा गया है, अर्थात प्रकार I और प्रकार II। यह भी निर्णय किया गया है कि प्रकार II की ऐसी एनबीएफ़सी के लिए फास्ट ट्रैक आवेदन की सुविधा दी जाए जो जनता से धन नहीं लेती हैं और जिनका इंटरफ़ेस ग्राहक के साथ नहीं है।

वर्ष 2016-17 के लिए कार्यसूची

VI.36 जैसाकि गत वर्षों में किया जाता रहा है, उसी प्रकार वर्ष 2016-17 में एनबीएफ़सी और बैंकों के बीच विनियमन समरूपता लाने की प्रक्रिया जारी रखी जाएगी। इसके अलावा, वर्ष के दौरान एनबीएफ़सी को कम से कम श्रेणियों में समूह बनाने की दिशा में नीतिगत उपाय किए जाएंगे। लोगों से विचार-विमर्श करने की प्रक्रिया के रूप में एनबीएफ़सी-एए से संबंधित मसौदा-निर्देशों और पी-2-पी उधार देने से संबंधित कन्सल्टेशन पेपर पर हितधारकों से फीडबैक प्राप्त किए गए हैं। निर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए फीडबैक की जांच की जा रही है और एनबीएफसी-एए के लिए सैद्धांतिक तौर पर अनुमोदन प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और पी-2-पी प्लेटफ़ार्म के विनियमन के ढांचे को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है।

वित्तीय बिचौलियों का पर्यवेक्षण

वाणिज्य बैंक : बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस)

VI.37 भारत की वित्तीय प्रणाली में बैंकों का वर्चस्व है, और उसमें डीबीएस को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) का पर्यवेक्षण करने का दायित्व सौंपा गया है- जो प्रणालीगत स्थिरता को कायम

रखने में केन्द्रीय भूमिका अदा करता है। एससीबी के अलावा, डीबीएस को एआईएफ़आई की पर्यवेक्षीय निगरानी भी करनी पड़ती है तथा वित्तीय संगुटों (एफ़सी) के समन्वित पर्यवेक्षण हेतु एफ़एसडीसी की उप-समिति के तत्वावधान में अंतर-विनियामकीय मंच (आईआरएफ़) के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है।

वर्ष 2015-16 की कार्यसूची : कार्यान्वयन स्थिति

VI.38 आस्ति गुणवत्ता के बारे में प्रकट की जा रही निरंतर चिंता को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने अपने द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार बैंकों की ऋण-आस्तियों की जुलाई-सितंबर 2015 के दौरान आस्ति गुणवत्ता समीक्षा की। इस कार्य में 36 प्रमुख बैंकों को लिया गया था। सभी बैंकों में उधार के बहुत बड़े खातों की स्थिति की जांच समन्वित तरीके से की गई, जिसमें बड़े ऋण से संबंधित सूचना हेतु केन्द्रीय रिपाजिटरी (सीआरआईएलसी) में उपलब्ध आफसाइट डाटा तथा वहां डंप किए गए अन्य डाटा का गहन विश्लेषण किया गया। इस परीक्षण से यह पता चला कि वास्तविक स्थिति तथा रिपोर्ट की गई क्षति के बीच भारी अंतर है। अतः, कई स्तरों पर समीक्षा करने के बाद, बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपनी बहियों में इस क्षति को उपयुक्त रूप से समायोजित करें। जहां इस आस्ति-गुणवत्ता समीक्षा का तत्काल प्रभाव तीसरी तिमाही के परिणामों में दिखाई दिया है, वहीं इसका व्यापक प्रभाव वर्ष 2015-16 की अंतिम तिमाही में दिखाई पड़ने की उम्मीद है। पिछले वर्ष के अनुभवों के आधार पर पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) की स्थापना की गई है और बैंकों के लिए आशोधित तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) संरचना को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है।

VI.39 वर्ष 2015-16 के दौरान 34 और बैंकों (28 छोटे विदेशी बैंकों को एक/दो शाखाओं सहित) को जोखिम और पूंजी संरचना के मूल्यांकन हेतु पर्यवेक्षी कार्यक्रम (एसपीएआरसी) के अंतर्गत लाया गया है। वर्ष 2012-13 में इस कार्य की शुरुआत से लेकर भारत में कार्य कर रहे बैंकों के जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) के तीसरे चक्र का कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया है। आरबीएस संरचना का निहित मकसद बैंकों के अधिकारियों तथा रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षी स्टाफ में क्षमता का निर्माण करना है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने आंतरिक कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने में व्यापक तौर पर मार्गदर्शन प्रदान किया है, जिसमें कार्यक्रम के उद्देश्य, अनंतिम कवरेज, कार्य-पद्धति तथा ऐसे कार्यक्रमों की संकल्पना को स्वरूप प्रदान करने के लिए संसाधन की व्यवस्था शामिल है। रिज़र्व बैंक ने इसी को लेकर तीन कार्यशालाएं भी आयोजित की हैं जिनमें आरबीएस से जुड़े लगभग सभी स्टाफ को शामिल कर लिया गया है। कार्यशाला में केस-अध्ययन, प्रश्नोत्तरी तथा संकल्पना की जांच करने के तरीके इस्तेमाल किए गए ताकि अपेक्षित कौशल उन तक पहुंचाया जा सके और वे उसके अनुकूल बन सकें।

VI.40 रिज़र्व बैंक ने उन बैंकों के लिए 'सूचना प्रस्तुतीकरण में सटीकता और ईमानदारी सुनिश्चित करना' विषय पर पहले ही संवेदी कार्यक्रम आयोजित कर लिए हैं जो बैंक पहले से आरबीएस के अधीन हैं। जिन बैंकों को 2016-17 से आरबीएस के अंतर्गत लाना है, उनके लिए एसपीएआरसी के संबंध में उन्मुखता कार्यशाला चलाई गई जिसमें शीर्ष प्रबंधन को भी शामिल किया गया तथा थीम-आधारित परिचर्चा भी आयोजित की गई। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने बैंक अधिकारियों के लिए विश्लेषण-टूल्स तथा सूचना प्रणाली (आईएस) आडिट के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन की व्यवस्था की। वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक ने बैंकों में सिस्टम के ऑडिट और सिस्टम के परीक्षण की शुरूआत की ताकि सूचना प्रौद्योगिकी की सुभेद्यता/कमजोरी की जाँच हो सके।

VI.41 रिज़र्व बैंक ने बैंकों से और बेहतर आंकड़े एकत्र करने के उद्देश्य से सीआरआईएलसी रिपोर्टिंग के संशोधित फार्मेट को सितंबर 2015 को समाप्त तिमाही से लागू किया है। वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) के बीच बीमा कंपनियों को सीआरआईएलसी के दायरे में लाने के संबंध में चर्चा की गई। इस प्रणाली से अवगत कराने के लिए पाँच बीमा कंपनियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

VI.42 वर्ष के दौरान आफ-साइट निगरानी और चौकसी प्रणाली (ऑसमॉस) विवरणी के स्थान पर ई-एक्स्टेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) प्लेटफार्म को सफ़लतापूर्वक लागू क र दिया गया। बैंकों ने आटोमेटेड डाटा फ्लो (एडीएफ़) प्रक्रिया के माध्यम से रिपोर्टिंग करना भी प्रारंभ कर दिया है।

VI.43 भारत के महालेखाकार से प्राप्त 'अनुभवी' और 'नये' लेखा-परीक्षकों के रूप में श्रेणीकृत पैनल में से 126 लेखा-परीक्षा फ़र्मों को रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केन्द्रीय लेखा-परीक्षक के रूप में कार्य करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

VI.44 वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफ़एस) के निर्देश पर, एआईएफ़आई अर्थात राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) तथा राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के द्विवर्षीय वित्तीय निरीक्षण के फार्मेट को पुनः तैयार किया गया और उसकी स्नैप आडिट की गई, इसके आधार पर फार्मेट की जांच करके उसे दुरुस्त किया गया। एआईएफ़आई को सूचित किया गया है कि वे 30 जून 2015 को समाप्त तिमाही से वर्तमान प्रणाली एफ़आईडीब्ओएसएमओएस तथा एक्सबीआरएल प्लेटफार्म दोनों में विवरणियों को प्रस्तुत करें।

VI.45 धोखाधड़ी का पता लगाने, रिपोर्टिंग करने तथा निगरानी रखने के लिए एक नया ढांचा मई 2015 से लागू किया गया है। बैंकों के उपयोग के लिए एक केन्द्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री को 20 जनवरी, 2016 से क्रियाशील कर दिया गया है।

VI.46 वर्ष के दौरान, सीमा-पार पर्यवेक्षी सहयोग लेने तथा पर्यवेक्षी सूचनाओं के आदान-प्रदान के प्रयोजन से रिज़र्व बैंक ने सात विदेशी बैंकिंग पर्यवेक्षी प्राधिकारियों के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं यथा- नेपाल राष्ट्र बैंक; बैंक ऑफ बोट्सवाना; सेंट्रल बैंक ऑफ संयुक्त अरब अमीरात (यूएई); बंगलादेश बैंक, प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथारिटी एंड फाइनेंशियल कंडक्ट अथारिटी, यू. के. और बैंक आफ इस्राइल के बैंकों के पर्यवेक्षक के साथ। रिज़र्व बैंक ने अब तक 32 समझौता- ज्ञापन निष्पादित किए हैं, एक पर्यवेक्षी सहयोग पत्र तथा एक विदेशी पर्यवेक्षकों/विनियामकों के साथ सहयोग वकतव्य।

VI.47 एफ़सी के परिचालनों में समूह-स्तर पर तथा अंतर-विनियमन मुद्दों की समीक्षा करने के लिए रिज़र्व बैंक ने अन्य घरेलू विनियामकों के समन्वय से एक बैठक आयोजित की जिसमें एक-बैंक पर आधारित एफ़सी ने सहभागिता की और तीन बीमा कंपनियों पर आधारित-एफ़सी तथा प्रतिभूति-आधारित एफ़सी के साथ इरडा एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) दोनों द्वारा क्रमशः आयोजित बैठकों में भाग लिया।

वर्ष 2016-17 के लिए कार्यसूची

VI.48 रिज़र्व बैंक आईटी परीक्षण और सायबर सुरक्षा से संबन्धित एक विशेषज्ञ पैनल (अध्यक्षः श्रीमती मीना हेमचंद्र), उद्योग से विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में शामिल करते हुए गठित किया है। यह पैनल बैंकों के आईटी परीक्षण/ सायबर सुरक्षा पहल के कार्यों में सहायता प्रदान करेगा, परीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा करेगा कार्रवाई मदों पर सुझाव देगा। तदनुसार, विस्तृत आईटी परीक्षण का कार्य अक्तूबर और दिसंबर 2015 में दो बैंकों में प्रारंभ किया गया। यह प्रस्ताव है कि वर्ष 2016-17 के दौरान 30 प्रमुख बैंकों में आईटी परीक्षण किया जाए। इसके अलावा, यह भी प्रस्ताव है कि वर्ष 2017-18 तक सभी बैंकों में आईटी परीक्षण कर लिया जाए। रिज़र्व बैंक का यह भी प्रस्ताव है कि एक सायबर सुरक्षा प्रयोगशाला की स्थापना की जाए जो बैंकों में सायबर सुरक्षा का विश्लेषण करने वाले आईटी परीक्षकों की सहायता करेगी।

VI.49 वर्ष 2016-17 के पर्यवेक्षी चक्र के दौरान शेष 26 बैंकों को एसपीएआरसी संरचना के अंतर्गत लाया जाएगा और इस प्रकार सभी एससीबी (आरआरबी तथा एलएबी को छोड़कर) को आरबीएस के अधीन लाया जाएगा। वर्ष 2016-17 में सभी बैंकों के एसपीएआरसी में आ जाने पर इसके ढांचे को अगले स्तर पर ले जाने का प्रस्ताव इस प्रकार हैः (ए) बैंकों की डाटा-क्वालिटी को अंक प्रदान करने के उद्देश्य से जोखिम-आधारित पद्धति विकसित करना; (बी) आफ-साइट जोखिम-मूल्यांकन ढांचे में सुधार करना; (सी) सतत पर्यवेक्षण के लिए ढांचा विकसित करना; (डी) कारोबार-जोखिम के आधार पर पर्यवेक्षीय कार्रवाई का मेनू विकसित करना; (ई) बैंकों में नियंत्रण वातावरण की बेंचमार्किंग करना; (फ) बैंकों को जोखिम-प्रोफ़ाइल की सूचना देने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना; (जी) जोखिम को दूर करने की योजना का ढांचा तैयार करना ताकि उनकी असलियत अच छे से सामने आ सके; तथा (एच) भुगतान बैंकों और एसएफ़बी के पर्यवेक्षण के लिए बनाए गए दृष्टिकोण को अंतिम रूप देना।

VI.50 एक बैक-आफिस सपोर्ट योजना बनाई गई है ताकि प्रत्येक बैंक के पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाने के लिए डाटा के विश्लेषण

पर फोकस करना सहज हो सके। इससे ऐसे डाटा के व्यवस्थित विश्लेषण की भी सहायता मिलेगी जो बैंकों से प्राप्त करके डंप कर दिए गए, ताकि पर्यवेक्षीय सरोकारों, यदि कोई हों, को सामने लाया जा सके। ऑसमॉस विवरणियों के अलावा पर्यवेक्षीय विवरणियों को एक्सबीआरएल परियोजना के एक्सबीआरएल प्लेटफार्म पर ले जाने का कार्य तीसरे चरण में किया जाएगा। धोखाधड़ी से संबंधित सभी विवरणियों को एक्सबीआरएल प्लेटफार्म पर ले जाया जाएगा। वर्ष के दौरान लेखा-परीक्षा प्रबंधन प्रणाली तथा प्रलेख प्रबंधन प्रणाली को लागू किया जाएगा।

VI.51 रिज़र्व बैंक ने अन्य घरेलू विनियामकों के साथ मिलकर बाज़ार के विभिन्न खंडों जैसे- बैंकिंग, गैर-बैंकिंग वित्त, बीमा कारोबार, प्रतिभूतियों और पेंशन निधियों में एफ़सी की पहचान करने के मानदंडों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। इन मानदंडों के आधार पर, समेकित पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए एफ़सी की पहचान की जाएगी। एक संयुक्त कार्य-समूह बनाया गया है जिसमें सभी सदस्य रेगुलटरों के प्रतिनिधि होंगे जो प्रणालीगत जोखिमों तथा परिवर्तनों को प्राप्त करने के लिए फार्मेट बनाने/ एफ़सी विवरणियों को युक्तिपरक बनाने के लिए मसौदा डाटा टेंपलेट की संरचना को अंतिम रूप देने का कार्य करेंगे।

VI.52 घरेलू और विश्व स्तर पर वित्तीय परिवेश में हो रहे परिवर्तन ने यह जरूरी कर दिया है कि पर्यवेक्षीय ढांचे को अधिक नियमनिष्ठ बनाया जाए ताकि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों और दिशानिर्देशों का पालन न करने पर बैंकों के विरुद्ध प्रवर्तनगत कार्रवाई की जा सके। तदनुसार, रिज़र्व बैंक एक ऐसी संरचना विकसित करने की प्रक्रिया में है जो इसके दृष्टिकोण को प्रवर्तनकारी कार्रवाई तथा प्रवर्तन प्रक्रिया से जोड़ लेगी। इस संरचना में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों तथा विश्व स्तर के पारदर्शिता, पूर्वानुमान, मानकीकरण, अनुरूपता, सख्ती तथा समय पर कार्रवाई के मानकों का पालन किया जाएगा।

VI.53 सीमा-पार पर्यवेक्षी सहयोग प्राप्त करने से संबंधित बीसीबीएस सिद्धांतों के अनुरूप रिज़र्व बैंक ने उन भारतीय बैंकों के लिए पर्यवेक्षी महाविद्यालयों की स्थापना की है जिनकी विदेशों में पर्याप्त मौजूदगी है, यथा महाविद्यालय में शामिल हैं - भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक तथा एक्सिस बैंक। इन महाविद्यालयों को 2016-17 में संचालित करने का कार्यक्रम है।

सहकारी बैंक: सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस)

VI.54 डीसीबीएस को प्राथमिक रूप से प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के पर्यवेक्षण तथा सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए विभाग आवधिक रूप से आन-साइट तथा सतत रूप से आफ-साइट निगरानी रखने के माध्यम से यूसीबी का पर्यवेक्षण करता है।

वर्ष 2015-16 की कार्यसूची: कार्यान्वयन स्थिति

VI.55 वित्तीय रूप से सुदृढ़ सहकारी बैंकिंग क्षेत्र विकसित करने के प्रयास में कई शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) जिनकी निवल मालियत ऋणात्मक थी, जो समस्त समवेशी निर्देशों के अधीन नहीं थे, उनकी संख्या वर्ष के दौरान घटकर 27 से 18 हो गई है। डीसीबीएस से प्राप्त होने वाली समस्त विवरणियों को वर्ष के दौरान एक्सबीआरएल प्लेटफार्म पर लाया गया। रिज़र्व बैंक के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा शहरी सहकारी बैंकों के प्रबंधन/ स्टाफ को तथा उनके सांविधिक लेखा-परीक्षकों को कुल मिलाकर आयोजित 109 कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

वर्ष 2016-17 के लिए कार्यसूची

VI.56 सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की सुदृढ़ता बढ़ाने की दिशा में संपूर्ण भारत चुनिन्दा 'सी' रेटिंग वाले शहरी सहकारी बैंकों की पहचान की जाएगी, उनपर फोकस किया जाएगा और उनकी कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, वर्ष के दौरान पर्यवेक्षक तथा पर्यवेक्षणाधीन शहरी सहकारी बैंकों की क्षमता-निर्माण के लिए पहल की जाएंगी।

एनबीएफ़सी: गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस)

VI.57 डीएनबीएस- रिज़र्व बैंक का एनबीएफ़सी के लिए पर्यवेक्षी विभाग है- जिसका फोकस स्वस्थ एनबीएफ़सी क्षेत्र के निर्माण हेतु सुविधाजनक वातावरण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। हाल के वर्षों में एनबीएफ़सी क्षेत्र में काफी विकास हुआ है तथा नए प्रकार की एनबीएफ़सी की शुरुआत ने भी इस विभाग की भूमिका को महत्वपूर्ण बना दिया है।

वर्ष 2015-16 की कार्यसूची: कार्यान्वयन स्थिति

VI.58 विभिन्न विनियामकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए तथा बाज़ार आसूचना की स्थिति प्राप्त करने हेतु, रिजर्व बैंक ने एक वेबसाइट बनाई है जिसे राज्य-स्तरीय समन्वय समितियों (जिसकी अध्यक्षता राज्य सरकारों के मुख्य सचिव करते हैं) के उपयोग के लिए क्रियाशील किया गया है। वर्ष के दौरान पात्र एनबीएफ़सी के लिए बड़े उधारकर्ताओं से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने हेतु सीआरआईएलसी प्लेटफार्म को सक्रिय बना दिया गया है। एनबीएफ़सी क्षेत्र के सहभागियों के साथ नियमित रूप से संपर्क करके एक परामर्शी दृष्टिकोण को औपचारिक रूप दिया गया है और तदनुसार बैठकों का आयोजन किया गया है। वर्ष के दौरान, छोटी एनबीएफ़सी के लिए एक सरलीकृत वार्षिक विवरणी का निर्धारण किया गया है।

VI.59 वर्ष 2015-16 के दौरान, एआरसी ने बैंकों से दबावग्रस्त आस्तियों को सक्रिय रूप से लेना जारी रखा है (सारणी VI.1) ।

वर्ष 2016-17 के लिए कार्यसूची

VI.60 वर्ष के दौरान यह प्रस्ताव है कि प्रमाणन प्रक्रिया में सांविधिक लेखा-परीक्षकों की भूमिका की समीक्षा की जाए ताकि बड़ी संख्या में छोटी-छोटी एनबीएफ़सी पर व्यापक रूप से पर्यवेक्षीय निगरानी रखी जा सके। रिज़र्व बैंक द्वारा आवश्यक अनुमोदन प्रदान करने की प्रोसेसिंग के लिए आईटी का सहारा लेने की शुरु की गई प्रक्रिया को वर्ष के दौरान आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा, एनबीएफ़सी द्वारा उचित व्यवहार संहिता के अनुपालन को और अधिक पर्यवेक्षण के माध्यम से बेहतर बनाया जाएगा। एनबीएफ़सी के लिए एक औपचारिक पीसीए ढांचा विकसित किया जाएगा।

सारणी VI.1: एआरसी क्षेत्र के लिए प्रमुख वित्तीय पैरामीटर

(बिलियन रुपये में)

मद	2014-15	2015-16
1	2	3
स्वाधिकृत निधि	33.6	36.8
एससी/आरसी द्वारा प्राप्त की गई आस्तियों की अधिग्रहण लागत	226.5	142.2
जारी कुल एसआर	224.3	140.9
एससी/आरसी द्वारा स्वयं के खाते में धारित एसआर	29.8	20.5
विक्रेता बैंक/ एफ़आई द्वारा धारित एसआर	191.7	117.7
अन्य क्यूआईबी को जारी एसआर की राशि	2.8	0.6
एफ़आईआई द्वारा धारित एसआर	-	2.1
मोचित एसआर	16.5	19.1

टिप्पणी: 1. एसआर: प्रतिभूति प्राप्तियां; क्यूआईबी: अर्हक संस्थागत विक्रेता; एफ़आईआई: विदेशी संस्थागत निवेशक
2. स्वाधिकृत निधि के आंकड़े मार्च अंत के हैं।

स्रोत: सीओएसएमओएस (कॉसमॉस) रिटर्न्स (तिमाही आधार पर)

उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण

उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी)

VI.61 जैसे-जैसे वित्तीय क्षेत्र का आकार, गहनता तथा जटिलताएं बढ़ती जा रहीं है, वित्तीय क्षेत्र के विनियामक के लिए यह प्रमुख प्राथमिकता बन जाती है कि उपभोक्ता का संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। रिजर्व बैंक ने अपने अग्रसक्रिय नीतिगत उपायों के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण को लक्ष्य किया है, साथ ही समग्र वित्तीय स्थिरता पर लगातार सतर्कता बनाए रखी है जिससे वित्तीय प्रणाली लंबे अरसे से उपभोक्ताओं के लिए एक सुरक्षित स्थान बना रही है।

वर्ष 2015-16 की कार्यसूची: कार्यान्वयन स्थिति

ग्राहक अधिकारों के चार्टर को पूरी तरह क्रियाशील बनाना

VI.62 रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2014-15 में ग्राहक अधिकार चार्टर जारी किया था। चार्टर को पूरी तरह से क्रियाशील बनाने को सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करके भारतीय बैंक संघ (आईबीए) और भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) द्वारा तैयार माडल नीति के समान ग्राहक अधिकार नीति तैयार करें। वर्ष 2015-16 में आंतरिक आवधिक समीक्षा के अलावा, बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि चार्टर की अनदेखी और उसका अनुपालन न करने पर भी पर्यवेक्षीय प्रक्रिया के दौरान निगरानी रखी जाएगी।

बैंकिंग लोकपाल (बीओ) योजना की व्यापक समीक्षा

VI.63 वर्ष 2015-16 के दौरान बैंकिंग लोकपाल योजना की व्यापक समीक्षा की गई (बॉक्स VI.6) । बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों (ओबीओ) की पहुंच को ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक विस्तार देने के उद्देश्य से तथा कुछ वर्तमान कार्यालयों के कार्यक्षेत्र को सुसंगत बनाने के लिए नये बैंकिंग लोकपाल कार्यालय रांची, रायपुर, जम्मू

बॉक्स VI.6
बैंकिंग लोकपाल योजना - समीक्षा

बैंकिंग लोकपाल योजना- विवाद निवारण तंत्र है जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 (ए) के अंतर्गत अधिसूचित है और वर्ष 1995 से अस्तित्व में है। इसके प्रारंभ से लेकर अब तक इस योजना की समय-समय पर समीक्षा की जाती रही है; पिछली समीक्षा वर्ष 2009 में की गई थी। हाल के वर्षों में बैंकिंग परिदृश्य बड़े परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है क्योंकि वित्तीय समावेशन योजना तथा प्रधानमंत्री जनधन योजना को अपनाए जाने से काफी बड़ा ग्राहक-आधार तैयार हो गया है। इस अवधि के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पादों की ओर रुझान भी बढ़ा है। इस प्रकार की प्रगति को देखते हुए बैंकिंग लोकपाल योजना की समीक्षा करना जरूरी हो गया है। वर्तमान समीक्षा में निम्नलिखित मुद्दों को रखा गया हैः

ए. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित निर्णय का आर्थिक अधिकार क्षेत्र,

बी. वर्तमान योजना के अंतर्गत समय की बर्बादी तथा धन का नुकसान, मानसिक पीड़ा, एवं शिकायतकर्ता के उत्पीड़न के लिए की जाने वाली क्षतिपूर्ति;

सी. वर्तमान योजना के अंतर्गत शिकायतों के अतिरिक्त आधार को शामिल करना;

डी. बैंकिंग लोकपाल द्वारा शिकायतों को निरस्त करने के बारे में प्रावधान किए गए खंडों को युक्तिसंगत बनाना और योजना के अंतर्गत अपील योग्य खंड को शामिल करना; तथा

ई. योजना के खंड II को युक्तिसंगत बनाना (शिकायत का निपटान करार के माध्यम से)

यह प्रस्ताव है कि भारत सरकार से सहमति प्राप्त करने के बाद संशोधित योजना को अधिसूचित कर दिया जाए।

और देहारादून में खोले जा रहे हैं तथा नई दिल्ली में अतिरिक्त बैंकिंग लोकपाल की तैनाती की जा रही है।

ग्राहक संरक्षण के संबंध में फील्ड स्तर से साक्ष्य तथा बैंकों में आंतरिक लोकपाल

VI.64 रिजर्व बैंक ऐसे विभिन्न मुद्दों के बारे में अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित करता रहा है जो उपभोक्ता संरक्षण के लिए प्रासंगिक रहे हैं। वर्ष 2015-16 में ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में गुप्त रूप से दौरे किए गए जिनमें बैंकों द्वारा तीसरे पक्ष के उत्पादों की नियम विरूद्ध बिक्री करने के मामलों पर नजर रखी गई। इसी प्रकार, फरवरी-मार्च 2016 के दौरान एटीएम की कार्य-प्रणाली के संबंध में एक अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के निष्कर्षों का परीक्षण किया जा रहा है ताकि उन पर उपयुक्त पर्यवेक्षीय प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

VI.65 बैंकों की आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कम से कम शिकायतें लोकपाल कार्यालयों को भेजी जाएं, रिजर्व बैंक ने सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों, चुनिंदा निजी बैंकों तथा विदेशी बैंकों को मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी (सीसीएसओ-आंतरिक लोकपाल) नियुक्त करने के लिए सूचित किया है। तदनुसार, सभी संबंधित बैंकों ने वर्ष के दौरान सीसीएसओ की नियुक्ति कर ली है तथा कार्य करना प्रारंभ कर दिया है।

जागरूकता बढ़ाना

VI.66 धन कमाने के जाली प्रस्तावों के बारे में भारी संख्या में बढ़ती शिकायतों को देखते हुए पूरे एक महीने तक आकाशवाणी रेडियो/ एफ़एम रेडियो के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया ताकि जनता को इसके प्रति संवेदी बनाया जा सके और सावधान किया जा सके कि रिजर्व बैंक और अन्य सरकारी प्राधिकरणों के नाम पर इस प्रकार के धन कमाने के प्रस्तावों के झांसे में न आएं।

फार्मों का मानकीकरण

VI.67 प्रत्येक बैंक में आवेदन का साधारण फार्म अलग-अलग है, इसलिए ग्राहकों को उससे अड़चन महसूस होती है। रिजर्व बैंक ने आईबीए से परामर्श करके सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जा रहे फार्मों की समीक्षा की और चुनिंदा फार्मों को मानकीकृत करने का सुझाव दिया है। आईबीए के माध्यम से शीघ्र ही बैंकों को मानकीकृत फार्मों को लागू करने की सूचना दी जाएगी।

वर्ष 2016-17 के लिए कार्यसूची

VI.68 रिज़र्व बैंक, बैंकों द्वारा ग्राहकों के अधिकार का चार्टर लागू किए जाने पर निगरानी रखेगा, संशोधित बैंकिंग लोकपाल योजना को पूरी तरह से कार्यान्वित करने का कार्य करेगा तथा नए बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों को क्रियाशील बनाने की दिशा में कार्रवाई करेगा।

वर्ष के दौरान सभी बैंकों में ग्राहकों द्वारा इस्तेमाल किए जानेवाले और अधिक फार्मों को मानकीकृत किया जाएगा। एनबीएफ़सी क्षेत्र के लिए उपयुक्त लोकपाल योजना बनाने की मद भी कार्यसूची में शामिल है। बैंक शाखाओं में विभिन्न ग्राहक सेवा के मुद्दों के संबंध में गुप्त रूप से दौरे करके आवश्यकतानुसार अध्ययन किए जाएंगे ताकि फील्ड स्तर पर स्थिति का मूल्यांकन किया जा सके। मूल्यांकन के आधार पर एक उपयुक्त विनियामक अथवा पर्यवेक्षीय प्रतिक्रिया तैयार की जाएगी।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)

VI.69 निक्षेप बीमा वित्तीय प्रणाली उपभोक्ता संरक्षण के लिए केंद्रीयकृत फ्रेमवर्क है। भारत में, डीआईसीजीसी - रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहयोगी संस्था है जो एलएबी, आरआरबी और कोआपरेटिव बैंकों सहित सभी वाणिज्य बैंकों के जमाकर्ताओं का बीमा करती है। ₹0.1 मिलियन की निक्षेप बीमा की मौजूदा सीमा के साथ, पूर्ण रूप से सुरक्षित खातों की कुल संख्या 31 मार्च 2016 को 1,553 मिलियन रही, जो कि 80 प्रतिशत के अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क की तुलना में खातों की कुल संख्या (₹1,682 मिलियन) का 92.3 प्रतिशत है। बीमाकृत जमाराशियों की राशि मार्च 2016 के अंत में ₹28,264 मिलियन थी जो निर्धारणीय जमाराशियों (₹94,053 बिलियन) का 30 प्रतिशत है जो कि 20-30 प्रतिशत के अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क के अनुरूप है।

VI.70 बेशी अंतरणों के जरिए डीआईसीजीसी द्वारा निर्मित जमा बीमा कोष (डीआईएफ) की कुल राशि 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार ₹602.5 बिलियन थी। इस कोष का उपयोग परिसमापन/पुनर्निर्माण/समामेलन के चलते बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के निपटान के लिए किया जाता है। वर्ष 2015-16 में, निगम द्वारा निपटाए गए दावों की राशि पिछले वर्ष के ₹3.2 बिलियन की तुलना में ₹0.47 बिलियन रही। सितंबर 2015 में, भारत में बैंकों के लिए विभेदक प्रीमियम प्रणाली समिति (अध्यक्ष: श्री जसबीर सिंह) ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए बैंकों के जोखिम प्रोफाइल पर आधारित विभेदक प्रीमियम प्रणाली के तौर-तरीके तैयार किए जा रहे हैं।

VI.71 वर्ष 2016-17 में मुख्यतः इन प्रमुख कार्यक्षेत्रों पर जोर दिया जाएगा : निक्षेप बीमा के बारे में लोगों को और अधिक जागरूक बनाना और इस उद्देश्य के लिए डीआईसीजीसी की वेबसाइट को नया रूप देना; जमा बीमाकर्ताओं के अंतरराष्ट्रीय संघ (आईएडीआई) के साथ गहन सहयोग सुनिश्चित करना और प्रभावी निक्षेप बीमा प्रणाली के लिए मुख्य सिद्धांतों को अपनाना; कर संबंधी समस्याओं का समाधान करना; और क्षमता निर्माण।

एकीकृत अप्लीकेशन सॉफ़्टवेयर समाधान

VI.72 निगम के सभी मौजूदा प्रकार्यों के पारस्परिक कार्यकलापों और सतत एकीकरण के लिए 2015-16 में एकीकृत अप्लीकेशन सॉफ़्टवेयर समाधान (आईएएसएस) की शुरुआत की गई। यह प्रणाली मैनुअल हस्तक्षेपों को कम करके दावों को संसाधित करने और निक्षेप बीमा रिटर्न का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण करने में सहयोग प्रदान करेगी।

राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)

VI.73 एनएचबी आवास वित्त की एक सर्वोच्च संस्था है, जो आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को पंजीकृत, विनियमित और उनका पर्यवेक्षण करती है। यह एचएफसी, एससीबी और कोआपरेटिव क्षेत्र की संस्थाओं को उनके आवास ऋणों के प्रति तथा सरकारी क्षेत्र और सरकारी-निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं को परियोजना उधार भी प्रदान करती है। लंबे अरसे से एनएचबी के लिए प्रमुख चिंता का विषय कम आय वाले आवासीय वर्ग हेतु वहनीय आवास वित्त के लिए नवोन्मेषी बाजार आधारित समाधान को बढ़ावा देने का रहा है। 12 जनवरी, 2016 की स्थिति के अनुसार, रिज़र्व बैंक ने एनएचबी की चुकता पूंजी में ₹10 बिलियन राशि का योगदान किया था जिससे बैंक की शेयरधारिता ₹4.5 बिलियन से बढ़कर ₹14.5 बिलियन हो गई है।

VI.74 वर्ष 2015-16 (जुलाई-जून) में एनएचबी द्वारा प्रदान किए गए कुल वित्त ₹215.9 बिलियन में से ग्रामीण आवास कोष (आरएचएफ) के तहत 17.4 प्रतिशत (₹37.5बिलियन) और शहरी आवास कोष (यूएचएफ) के तहत 6.4 प्रतिशत (₹13.8 बिलियन) प्रदान किया गया। केंद्र सरकार ने एनएचबी को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) - हाउसिंग फार ऑल मिशन के तहत

उधार संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) और सोलर कैपिटल सब्सिडी योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में चिह्नित किया है। सीएलएसएस के भाग के रूप में, एनएचबी ने जून 2016 के अंत तक ₹1.2 बिलियन के उपदान हेतु दावों का निपटान किया जो 57 प्राथमिक उधारदाता संस्थाओं के 7,062 गृहस्थों से संबंधित थे।

VI.75 एनएचबी ने तमिलनाडु के बाढ़-प्रभावित जिलों के लिए आवासीय वित्त का प्रवाह बढ़ाने के लिए शहरी आवास निधि योजना के तहत कम दरों पर एचएफसी को वित्त भी प्रदान किया। जून 2016 के अंत की स्थिति के अनुसार इस योजना के भाग के रूप में ₹440 मिलियन की राशि वितरित की गई। एनएचबी ने भारत के 26 शहरों में आवासीय संपत्ति कीमतों का पता लगाने के लिए जुलाई 2007 में तिमाही आधार पर रेजिडेक्स की शुरुआत की थी। इस सूचकांक की हाल में की गई समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि व्यापक आवासीय-संबद्ध सूचकांकों को स्पष्ट करके इसे नया रूप प्रदान किया जाए।